मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ0ग0 रायपुर द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेन्स दिनांक 04/10/2023

1.सामान्य सांख्यिकीय जानकारी–

- कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र–**11**
- कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–**90**
- कुल राज्य सभा सीट–**05**
- राज्य में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या–**24109**

2 निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अर्हता तिथि 01/10/2023 की जानकारी–

विवरण	पुरूष	महिला	Third Gender	कुल मतदाता	EP Ratio	Gender Ratio
प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 02/08/2023	9807673	9832757	767	19640430	64.65%	1003
अंतिम प्रकाशन दिनांक 04/10/2023	10120830	10239410	790	20360240	67.02%	1012

- Total Projected Population- 3,03,80,000
- मतदाता सूची में PwDs चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या प्रारंभिक प्रकाशन– 1,47,364 से बढ़कर अंतिम प्रकाशन में कुल–160955 है।
- 18–19 आयुवर्ग समूह में **723771** मतदाता पंजीकृत है । प्रारंभिक प्रकाशन में 18–19 आयुवर्ग के कुल मतदाता 425698 थे, इस प्रकार इस आयुवर्ग में पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल–298073 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- राज्य में वर्तमान में 18 से 22 आयुवर्ग के फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या–1868636 है, जो विधानसभा निर्वाचन में पहली बार मतदान करेगें ।
- वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80+आयु वर्ग)–186215
- छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन तिथि 04.10. 2023 को सर्विस वोटर्स की कुल संख्या–19839 दर्ज है ।
- वर्तमान पुनरीक्षण में कुल–1010699 नये मतदाताओं के नाम फार्म–6 के माध्यम से जोड़े गये है। कुल–290874 नामों को फार्म–7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है। इस प्रकार कुल–719825 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है ।

निरंतर....02

3. जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर एक फोटोयुक्त हार्ड प्रति एवं एक फोटो रहित साफ्ट कॉपी (बिना फोटो की) (Image pdf format) में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदाय की जावेगी।
4. यह अंतिम प्रकाशन की फोटोरहित मतदाता सूची इस कार्यालय के वेबसाइट **ceochhattisgarh.nic.in** में आज दिनांक 04/10/2023 को होस्ट कर दी गई है । आम जनता मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते है।
5. प्रदेश अंतर्गत मतदाता फोटो परिचय पत्र (EPIC Coverage) अर्हता तिथि 01/10/2023 की स्थिति में कुल–99.86% है। राज्य में संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 (प्रथम चरण), सतत् अद्यतनीकरण एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण–2023 (द्वितीय चरण) में अब तक कुल–**1769084** मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक कार्ड) की प्रिटिंग एवं वितरण का कार्य डाक विभाग के माध्यम से कराया जा चुका है। जिसमें फार्म–6 के माध्यम से नये जुड़े नामों एवं फार्म–8 के संशोधन आवेदनों दोनों प्रकार के आवेदन शामिल है।
6. मतदाता सूची में आपका नाम एवं मोबाईल नंबर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) में जाकर आप e-EPIC डाउनलोड कर सकते है, यदि किसी का मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है तो वह फॉर्म 8 में संशोधन के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज कराकर उसके तत्काल बाद e-EPIC download tab में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते है ।
7. निर्वाचक नामावली में फार्म–6 के माध्यम से नये नाम जोड़ने की कार्यवाही एवं फार्म–8 के माध्यम से शिफ्टिंग वाले आवेदन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त किये जावेगें तथा ऐसे सभी आवेदन की प्रोसेसिंग इन 10 दिवसों में की जाकर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मतदाता सूची फ्रीज हो जावेगी ।
8. निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत प्राप्त फार्म–7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं फार्म–8 के माध्यम से शिफ्टिंग केटेगरी के आवेदनों को छोड़कर अन्य तीन श्रेणियों के आवेदनों (संशोधन, पीडब्ल्यूडी मार्किंग एवं रिप्लेंसमेंट एपिक) की प्रोसेसिंग पूर्णतः बंद हो जावेगी एवं इनका निराकरण निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत अतिशीघ्र किया जावेगा ।

....